न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 24/2023 दायर दिनांकः 04.04.2023

उनवान

1. सुनिताबाई पत्नि पप्पूलाल जाति दांगी नि. माथनियां तहसील रायपुर

— वादीया

बनाम

1. कंचनबाई बेवा रामप्रताप जाति दांगी नि. माथनियां तहसील रायपुर
2. सुभाष पिता रामप्रताप दांगी जाति दांगी नि. माथनियां तहसील रायपुर
3. सीताराम पिता रामप्रताप दांगी जाति दांगी नि. माथनिया तह.रायपुर
4. शाखा प्रबंधक HDFC BANK शाखा झालावाड
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा० रायपुर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण —

अभिभाषक वादी — श्री विनोद जैन

प्रतिवादी सं. 1 से 4 — एकतरफा

प्रतिवादी सं. 5 — पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 22.07.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माथनिया तहसील रायपुर की आराजी खाता सं० 470 खसरा 1690/1134 रकबा 0.2782 है०, खसरा नं० 1764/1046 रकबा 0.4679 है०, खसरा नं० 1826/1470 रकबा 0.4047 है०, खसरा नं० 1884/801 रकबा 0.0253 है०, खसरा नं० 1885/1049 रकबा 0.1391 है०, खसरा नं० 1886/1117 रकबा 0.1391 है०, खसरा नं० 1887/1296 रकबा 0.4806 है०, खसरा नं0 1888/1297 रकबा [illegible]759 है, खसरा नं० 1889/1358 रकबा 0.2656 है०, खसरा नं० 1890/[illegible]61 रकबा 0.1012 है०, खसरा नं० 1891/1362 रकबा 0.4300 है० कुल किता 11 रकबा 2.8[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर आराजी स्थित है उपरोक्त आराजीयात पूर्व मे प्रतिवादी न० 1, 2, 3 के पिता श्री रामप्रताप पिता बापुलाल जाति दांगी नि० माथनियां तह० रायपुर के नाम थी और वह ही उक्त भुमि के एकमात्र स्वामी खातेदार टीनेन्ट थे। यह कि उपरोक्त आराजीयात पुर्व मे प्रतिवादी न० 1, 2, 3 के पिता रामप्रताप पिता बापुलाल नि० माथनिया के नाम से खाता स० 373 था तब प्रतिवादी न० 1, 2, 3 के पिता रामप्रताप पिता बापुलाल के नाम से खाता स० 373 था तब उन्होने राजी–मर्जी से बिना दबाव के खसरा न० 1690 / 1134 शामिल न० 1135 रकबा 01–02 बिस्वा भुमि जिसका वर्तमान खसरा न० 1690 / 1134 रकबा 0.2782 है० है को रामप्रताप द्वारा बिल ऐवज 40,000 / –रुपये मे दिनाक 02.06.2011 को वादीनी सुनिताबाई पत्नि पप्पुलाल जाति दांगी को बेचान कर दी थी और तब से ही आराजी पर कब्जा वादनी को सम्भला दिया था तब से ही उपरोक्त खसरा न० की आराजी पर प्रतिवादीगण 'व अन्य की जानकारी में चला आ रहा है उक्त आराजीया पूर्व में रहन होने से उक्त खसरा न० 1690 / 1134 रकबा 01–02 बिस्वा का इंतकाल वादीनी के नाम नहीं खुल सका लेकिन कब्जा वादीनी का चला आ रहा है लेकिन आराजी प्रतिवादी न० 1, 2, 3 के पिता नाम पर चली आ रही है उक्त बैचान की जानकारी प्रतिवादी न0 1, 2, 3 को भी है। यह कि इस बीच प्रतिवादी के पिता का देहान्त हो गया और उपरोक्त रामप्रताप के खाते की आराजीयात पर प्रतिवादीगण 1, 2, 3 के वारिसान होने से प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हो गई व वर्तमान मे प्रतिवादीगण उक्त भुमि खतेदार टीनेन्ट है नकल जमाबन्दी सलग्न है। यह कि वादनी ने प्रतिवादी न० 1 लगायत 3 से इंतकाल खुलवाने हेतु निवेदन किया तो उन्हे उक्त खसरा न० 1690 / 1134 बेचान की जानकारी होने से प्रतिवादींगण वादीनी के नाम इंतकाल खुलवाने को सहमत हो गये। वादनी द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से सम्पर्क किया इस बीच प्रतिवादीगण ने अपने खाते की भुमि मे से खसरा न0 1690 / 1134, 1884 / 801, 1836 / 1296 को छोडकर शेष आराजीयात को HDFC BANK शाखा झालावाड से केसीसी का ऋण ले लिया इस कारण वर्तमान मे उपरोक्त वाद मे HDFC BANK शाखा झालावाड को प्रतिवादी बनाया गया। यह कि वाद कारण आज से 15 दिन पुर्व पेदा हुओं जब वादीनी ने प्रतिवादींगण 1 लगायत 3 से बेचान का इंतकाल खुलवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

का निवेदन किया तो वह टाल-टुल करने लगे व उक्त कार्य मे दिलचस्पी नहीं ले रहे है यही बिनाय खासमत दावा हाजा है। यह कि प्रतिवादी न० 4 शाखा प्रबन्धक HDFC BANK शाखा झालावाड व प्रतिवादी न० 5 राजस्थान सरकार लेन्ड होलडर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादीनी द्वारा खसरा न० 1690/1134 रकबा 0.2782 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है तथा काबिज हो कर काश्त कर रही है तथा खसरा न० 1690/1134 का अपने नाम पर इंतकाल खुलवाने का अधिकारी है तथा उक्त खसरा न० 1690/1134 रकबा 0.2782 है० का बंटवारा कर अपने अलग खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस कारण सुविधा का सन्तुलन व प्राईमाफेसी केस वादीनी के पक्ष मे है इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। यह कि वाद श्रीमान के स्वर्णाधिकार क्षेत्र में अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि –

(अ) वाद–वादनी डिकी किया जा कर वादनी को खसरा न० 1690/1134 रकबा 0.2782 है० वाकै माथनिया तह० रायपुर का घोषित किया जा कर वादी का नाम खाते में दर्ज कर अलग खाते दर्ज किया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण 1, 2, 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह ग्राम माथनियों की आराजी खसरा न0 1690/1134 की 0.2782 है० भुमि को कही रहन–बेय नहीं करे व अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित ही करे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादनी के पक्ष में हो।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 28.10.2024 से प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 5 पेरोकार सरकार द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जिस [illegible] जवाब अवसर बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, [illegible] झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

3. वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम माथनिया के खाता सं. 470 जमाबंदी सं. 2075–78 प्रदर्श 1, लट्ठा नक्शा ट्रेस दिनांक 13.01.2023 प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी सं. 2078 प्रदर्श 4, असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2011 प्रदर्श 5 पेश किया एवं मौखिक साक्ष्य में सुनीताबाई पत्नि पप्पूलाल एवं पप्पूलाल पि. बालाराम PW 1 To PW 2 के शपथ पत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषक वादीया की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीया ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम माथनिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1690/1134 शामिल ख.नं. 1135 रकबा 1–02 बीघा यानि 0.2782 है. भूमि को वादीया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2011 से तत्कालीन खातेदार रामप्रताप पि. बापूलाल 40000 रूपये की प्रतिफल राशि में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था और तब से आज दिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर व शांतीपूर्ण कब्जा काश्त चली आ रही है। वादीया द्वारा सं. 2078 में खरीफ में सोयाबीन एवं रबी में चना की फसल काश्त की है। अभिभाषक वादीया द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादीया द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को वर्ष 2011 में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था परन्तु उक्त आराजी एचडीएफसी बैंक के पक्ष में रहन दर्ज होने और विक्रता खातेदार द्वारा कृषि ऋण जमा नहीं कराने के कारण वादीया के पक्ष में खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका एवं बाद में विक्रेता खातेदार रामप्रताप पि. बापूलाल की मृत्यु हो जाने से ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिको ने तथ्यो की जांच पडताल किये बिना गैर कानूनी रूप से वादग्रस्त आराजी में विक्रेता खातेदार रामप्रताप का फोती नामान्तरण प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि भूमि का स्वाम्तिव व कब्जा दोनो वादीया के पक्ष में निहित थे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

5. अभिभाषक वादीया ने आगे तर्क किया कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

से 3 को अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य पेश नहीं करना है। अभिभाषक वादीया द्वारा आगे तर्क किया गया कि वर्तमान में उक्त भूमि ख.नं. 1690/1134 रहन मुक्त है यानि किसी भी वित्तीय संस्था का भार दर्ज नहीं है। अतः ग्राम माथनिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1690/1134 रकबा 1–02 बीघा अर्थात 0.2782 है. भूमि का वादीया को खातेदार घोषित किया जाकर पृथक खाते दर्ज की जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

6. अभिभाषक वादीया की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा पेश ग्राम माथनिया के खाता सं. 470 की जमाबंदी सं. 2072–75 प्रदर्श 1 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1690/1134 रकबा 0.2782 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खाते दर्ज रिकार्ड है। वादीया द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2011 प्रदर्श 2ए व असल रजिस्ट्री के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम माथनिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1690/1134 शा.नं. 1135 रकबा 1–02 बीघा भूमि को विक्रेता खातेदार प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता रामप्रताप पि. बापूलाल द्वारा दिनांक 02.06.2011 को वादीया सुनीताबाई पत्नि पप्पूलाल जाति दांगी नि. माथनिया को 40000 रूपये की प्रतिफल राशि में बेचान कर कब्जा सौप दिया था। वादीया द्वारा पेश साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 सुनीता एवं पीडब्ल्यू 2 पप्पूलाल ने सशपथ बयानो में कथन किया है कि वादीया ने दिनांक 02.06.2011 को प्रतिवादी 1 के पति व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता से ग्राम माथनिया की उक्त आराजी खरीद की थी। तब से वादग्रस्त आराजी पर वादीया का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। **पीडब्ल्यू 2 पप्पूलाल ने अपनी शपथ में स्वीकार किया है कि खरीदशुदा ख.नं. 1690/1134 पर सुनीताबाई का कब्जा रजिस्ट्री से खरीद करने से ही चला आ रहा है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

7. ग्राम माथनिया की वादग्रस्त [illegible] सं. 2075-78 के अवलोकन से जाहिर है कि फोती ना[illegible] से विक्रेता खातेदार रामप्रताप के स्था पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 क[illegible]ाम दर्ज रिकार्ड हुआ

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

था जबकि रामप्रताप द्वारा भूमि दिनांक 02.06.2011 को बेचान कर कब्जा सौप दिया था। वादग्रस्त आराजी का टाईटल व कब्जा वादीया के पक्ष में होने के बावजूद तत्कालीन राजस्व कार्मिको व ग्राम पंचायत द्वारा तथ्यों की जांच पडताल किये बिना विधि विरूद्ध फोती नामा.सं. 1978 निर्णित किया गया जो प्रारम्भ से ही अवैधानिक व प्रभावशून्य होने से खारीज योग्य है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 को अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य पेश नहीं करना है।

8. वादीया द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के हाल जमाबंदी दिनांक 14.05.2025 व दिनांक 22.07.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख.नं. 1690/1134 रकबा 0.2782 है. HDFC बैंक के पक्ष में रहन दर्ज नहीं है अर्थात भूमि रहन मुक्त है।

9. वर्तमान में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीया को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित होने से इस न्यायिक निर्णय की पालना होने तक प्रतिवादी सं. 1 से 3 को वादग्रस्त भूमि का रहन, बेचान, हकत्याग आदि अन्तरण नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया न्यायोचित होगा।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम माथनिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1690/1134 रकबा 1–02 बीघा अर्थात 0.2782 है. के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 आर. टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम माथनिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1690/1134 रकबा 1–02 बीघा अर्थात 0.2782 है. पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी सं. 1 से 3 के स्थान पर वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि का रहन, बेचान, हकत्याग आदि अन्तरण नहीं करें। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

22/07/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़ राज०

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 24/2023 दायर दिनांकः 04.04.2023

उनवान

1. सुनिताबाई पत्नि पप्पूलाल जाति दांगी नि. माथनियां तहसील रायपुर

– वादीया

बनाम

1. कंचनबाई बेवा रामप्रताप जाति दांगी नि. माथनियां तहसील रायपुर
2. सुभाष पिता रामप्रताप दांगी जाति दांगी नि. माथनियां तहसील रायपुर
3. सीताराम पिता रामप्रताप दांगी जाति दांगी नि. माथनिया तहसील रायपुर
4. शाखा प्रबंधक HDFC BANK शाखा झालावाड
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा० रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –
अभिभाषक वादी – श्री विनोद जैन
प्रतिवादी सं. 1 से 4 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 5 – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X.............. रूबरू..............X..............................
मिनजानित मुदई रूबरू ....X.......................................
वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम माथनिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1690/1134 रकबा 1–02 बीघा अर्थात 0.2782 है. पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के स्थान पर वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि का रहन, बेचान, हकत्याग आदि अन्तरण नहीं करें। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

निज ....X..................... मुबालिक ....X............ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरह ......X. ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.07.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी पिडावा झालावाड़ (राज०)

जिला झालावाड राज0

मुद्दई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

जिला झालावाड उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner